आलोक शर्मा
आई.पी.एस.

अ.शा.पत्रांकःएमजैड़-सीआर-21(11)/14/7161
पुलिस महानिरीक्षक,
मेरठ जोन, मेरठ।
दिनांकःमेरठःजून 07 , 2014
Mail id-igzonemrt-up@nic.in
Ph. No. 0121-2763664, 2763247

प्रिय महोदय

आप अवगत हैं कि मेरठ जोन के जनपदों में घटित हो रहे, विशेष रूप से महिलाओं के विरूद्ध घटित गम्भीर अपराध यथा सामूहिक बलात्कार, हत्या, चैन स्नेचिंग, ऑनर किलिंग आदि अपराधों की सूचना सर्वसम्बंधित को देने की व्यवस्था है। किन्तु देखने में आ रहा है कि अभी भी सनसनीखेज अपराधों में अभियोग पंजीकरण में हीला-हवाली किये जाने पर विषम स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसका ताजा उदाहरण हाल ही में जनपद मुजफ्फरनगर में कस्बा शाहपुर में एक विक्षिप्त महिला के साथ हुई सामूहिक बलात्कार की घटना है। यदि समय रहते महिलाओं क विरूद्ध हुए सनसनीखेज अपराधों में तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण घटना स्थल कर अधीनस्थ अधिकारियों का मार्गदर्शन नहीं किया जायेगा तो इसकी परिणिति शांति/कानून -व्यवस्था सम्बंधी स्थिति पैदा होने के रूप में होती रहेगी। अतः इस प्रकार की घटनाओं को सुसंगत धाराओं में पंजीकरण करने के साथ ही पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्याः 36/2014 दिनांक 04.06.2014 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

2- यहां यह भी स्मरण कराना समीचीन होगा कि शासन महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर बहुत ही गम्भीर है। अतः शासन/वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर से निर्गत निर्देशों/परिपत्रों का गम्भीरतापूर्वक अनुश्रवण करने के साथ-साथ निम्नानुसार प्रभावी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें:-

- महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न एवं हिंसा जैसे घटित अपराध होने पर Criminal Law Ammendment Ordinence 2013 के अनुरूप संशोधित धाराओं के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाये। जहां महिलाओं एवं छोटी लड़कियों की हत्या हुई हो और उनके शरीर पर विशेष रूप से जननांगों पर चोट के कारण बलात्कार का लेशमात्र भी संदेह हो तो हत्या के साथ बलात्कार का भी अभियोग पंजीकृत किया जाये।
- इस प्रकार के अपराधों में गिरफ्तारी तत्परतापूर्वक की जाये, ताकि जनसामान्य में पुलिस कार्यवाही के प्रति अच्छा संदेश जाये।
- विवेचना के दौरान अभियुक्तों का मेड़िकल परीक्षण कराकर बलात्कार के सम्बंध में पुष्टिकारक साक्ष्य एकत्रित की जाये।
- बलात्कार में मेड़िकल पीड़िता/अभिभावक की सहमति से यथा-सम्भव 24 घंटे के अंदर करा लिया जाये।
- बलात्कार पीड़िता के कथन उसके आवास पर अथवा उसके इच्छित स्थान पर विशेषतः महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता-पिता, अभिभावक, नजदीकी रिस्तेदारों या सामाजिक कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में लिया जाये।
- किसी भी दशा में पीड़िता को थाने पर न रखा जाये। यदि चिकित्सा की आवश्यकता हो तो उसे चिकित्सालय में भर्ती किया जायेगा अन्यथा स्वेच्छा से घर जाने दिया जायेगा।
- क्षेत्राधिकारी व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारी सुनिश्चित करायें कि जिन घटनाओं में बलात्कार का संदेह हो तो वहां विवेचक धारा 376 भादंवि. के अन्तर्गत पंजीकृत करें तथा निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जाये।
- इस बात पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि संशोधित धारा 166(ए) भादंवि.(Vide Crl. Ammendment Act 3013) के अन्तर्गत यदि कोई लोक सेवक धारा 376 भादंवि. का अपराध पंजीकृत करने में असफल रहता है या पीड़िता को अवैधानिक रूप से थाने पर बुलाता है तो उसे 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक कठोर कारावास से दंड़ित किया जा सकता है।
- बलात्कार सहित हत्या के अपराधों मे पर्यवेक्षण अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि विवेचना के दौरान आधुनिक विज्ञान तथा विधि विज्ञान तकनीकि का पूर्ण प्रयोग किया जाये।
- धारा 173(1ए) दं.प्र.सं.(Ammendment Act 50/2009) के अन्तर्गत बच्चे के साथ बलात्कार के अभियोगों की विवेचनाएं 03 माह के अंदर पूर्ण कर ली जाये।
- हत्या एवं बलात्कार जैसे अपराधों की विवेचनाओं में सुधार हेतु पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अर्द्धशा0 पत्र संख्याः डीजी-3/2013 दिनांक 17.01.2013 का प्रभावी अनुश्रवण किया जाये।
- ऑनर किलिंग के प्रकरणो में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के परिपत्र संख्याः 45/2013 दिनांक 07.08.2013 का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3- मैं चाहूँगा कि आप अपने जनपद में पुलिस बल को महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील/जवाबदेह बनायेगे तथा शासन की मंशा के अनुरूप इस प्रकार के अपराधों की रोकथाम हेतु योगदान देकर प्रयत्नशील रहेंगे। इस संदर्भ में किसी भी स्तर से बरती गयी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

(आलोक शर्मा)

समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, मेरठ जोन।

प्रतिलिपिः- पुलिस उपमहानिरीक्षक, मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र को आवश्यक कार्यवाही हेतु।